

य :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

ail :- addlpecfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/योबो - 839 दिनांक : 18/06/2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी  
वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/देवघर वन प्रमंडल,  
देवघर/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग  
पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/चतरा उत्तरी  
वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/बोकारो वन प्रमंडल,  
बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/  
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा  
सुदृढ़ीकरण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत 47500 पक्का सीमा  
स्तम्भ के निर्माण एवं डी0जी0पी0एस0 द्वारा वन सीमा का सर्वे हेतु  
1820.450 (अठारह करोड़ बीस लाख पैंतालीस हजार) रु0 मात्र राशि  
का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योबजट-15/2016- 09/स्वी0 व0प0  
दिनांक 17.06.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबजट-15/  
2016- 45/आ0 व0प0 दिनांक 17.06.2016

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य  
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन  
संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 48 वन सीमा का सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत  
वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि, स्वीकृत्यादेश के साथ कार्य विवरणी  
संलग्न करते हुए कुल रु0 1820.450 (अठारह करोड़ बीस लाख पैंतालीस हजार) मात्र का  
उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	(राशि लाख में)	
मजदूरी	688.275	(छ: करोड़ अठारसी लाख सताईस हजार पाँच सौ रुपये)
आपूर्ति एवं सामग्री	1032.175	(दस करोड़ बतीस लाख सत्रह हजार पाँच सौ रुपये)
सर्वेक्षण	100.000	(एक करोड़ रुपये)
कुल :-	1820.450	(अठारह करोड़ बीस लाख पैंतालीस हजार रुपये)

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-2 एवं 3 पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट-1 से 2 के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित किये जाए।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जाएगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पद प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनदर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0 301, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

*Yashwant*  
16/01/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनदर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0 301, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

839

मिन्ट 18/06/2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/दुमका/हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/गढवा/देवघर/हजारीबाग/चतरा/बोकारो/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रेधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

Chanchal  
10/06/2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/दुमका/हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/गढ़वा/देवघर/हजारीबाग/चतरा/बोकारो/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

40/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0ब0 — 839 दिनांक— 18/06/2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/गढ़वा/गोड़डा/देवघर/गुमला/हाजरीबाग/कोडरमा/चतरा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
18/06/2016

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/दुमका/हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/गढ़वा/देवघर/हजारीबाग/चतरा/बोकारो/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0 -

दिनांक-

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/गढ़वा/गोड्डा/देवघर/गुमला/हाजरीबाग/कोडरमा/चतरा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0 - 839 दिनांक- 18/06/2016

प्रतिलिपि :- इनविस सेन्टर, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(18/06/2016)

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा का सुदृढ़ीकरण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण का स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (रु0 3622.00 प्रति सीमा स्तम्भ)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (सीमा स्तम्भ की सं0)	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iv	v	vi	vii	viii
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	3500	126.770	50.715	76.055	126.770
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	2500	90.550	36.225	54.325	90.550
	योग :-	9000	325.980	130.410	195.570	325.980
4	गोड़डा वन प्रमण्डल, गोड़डा	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
5	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
	योग :-	6000	217.320	86.940	130.380	217.320
6	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	3500	126.770	50.715	76.055	126.770
7	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	3500	126.770	50.715	76.055	126.770
8	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	2500	90.550	36.225	54.325	90.550
9	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
	योग :-	15500	561.410	224.595	336.815	561.410
11	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
12	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकरो	3500	126.770	50.715	76.055	126.770
13	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
14	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	3000	108.660	43.470	65.190	108.660
15	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	2500	90.550	36.225	54.325	90.550
	योग :-	15000	543.300	217.350	325.950	543.300
16	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	2000	72.440	28.980	43.460	72.440
	योग :-	2000	72.440	28.980	43.460	72.440
	सकल योग :-	47500	1720.450	688.275	1032.175	1720.450


*Chandram*  
अपर प्रधान मुख्य वन संचालक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

839  
18/06/2016

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा का सुदृढ़ीकरण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार वन भूमि सीमा का डी0जी0पी0एस0 सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरिफेरन्स मैप तैयार करना) करने का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सर्वेक्षण	कुल
i	ii	v	viii
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	25.000	25.000
2	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	25.000	25.000
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	25.000	25.000
4	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	25.000	25.000
योग :-		100.000	100.000

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

839  
18/06/2016



## आवंटन आदेश

### आरखड़ सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु लिम्नाकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-08/2016/839

दिनांक -

18-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भरते 03 - मजदूरी	38385	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	5,071,500.00 रुपये पचास लाख इकहत्तर हजार पौंच सौ
2	P 19 240601101480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भरते 03 - मजदूरी	38386	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
3	P 19 240601101480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भरते 03 - मजदूरी	38387	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	3,622,500.00 रुपये छत्तीस लाख बाइस हजार पौंच सौ

योगः:

क्रमिक योगः:

रुपये एक करोड तीस लाख इकतालीस हजार

13,041,000.00

  
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)  
 ADDI.PCCF,DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101480103	38388	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
5	P 19 240601101480103	38389	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
6	P 19 240601101480103	38390	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	5,071,500.00 रुपये पचास लाख इकहत्तर हजार पौंच से
7	P 19 240601101480103	38391	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	5,071,500.00 रुपये पचास लाख इकहत्तर हजार पौंच से
योग:				18,837,000.00
क्रमिक योग:				31,878,000.00

*Y.K.Singh Chauhan*  
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)  
SC ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601101480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38392	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	3,622,500.00
9	P 19 240601101480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38393	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	4,347,000.00
10	P 19 240601101480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38394	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	4,347,000.00
11	P 19 240601101480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38395	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	4,347,000.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये चार करोड़ पिचयासी लाख इकतालीस हजार पैसे से

16,663,500.00

48,541,500.00


  
(SHRI.Y.K.SINGH & JUHAN IFS)

85 ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601101480103	38396	BKRFOR001 P.R. NAYDU D F O, BOKARO	5,071,500.00 रुपये पचास लाख इकहत्तर हजार पौच्छरू
13	P 19 240601101480103	38397	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
14	P 19 240601101480103	38398	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
15	P 19 240601101480103	38399	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	3,622,500.00 रुपये छत्तीस लाख बाइस हजार पौच्छरू

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छ: करोड उनसठ लाख उन्तीस हजार पौच्छरू सौ

17,388,000.00

65,929,500.00

SRI Y.K. SINGH CHAUHAN (IFS)  
ADD: PCCF, DEV. JHARKHAND  
18/06/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601101480103	38400	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	2,898,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृशीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी			रुपये अठाइस लाख अठानवे हजार
17	P 19 240601101480323	38401	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	7,605,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृशीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			रुपये छहत्तर लाख पाँच हजार पाँच सौ
18	P 19 240601101480323	38402	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	6,519,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृशीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
19	P 19 240601101480323	38403	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	5,432,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृशीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			रुपये चौपन लाख बत्तीस हजार पाँच सौ
				22,455,000.00
योग:				88,384,500.00
क्रमिक योग:	रुपये आठ करोड तिरयासी लाख चौरासी हजार पाँच सौ		<i>Y.K.Singh</i> 10/6/2016 (SHRI.Y.K.SINGH CHHJUHAN IFS) ADD: PCCF, DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601101480323	38404	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	6,519,000.00
21	P 19 240601101480323	38405	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	6,519,000.00
22	P 19 240601101480323	38406	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	7,605,500.00
23	P 19 240601101480323	38407	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	7,605,500.00
				28,249,000.00

योगः:

क्रमिक योगः:

रुपये र्यारह करोड छाँठ लाख तैसीस हजार पौंच सौ

116,633,500.00



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)  
ADDL:PCCF, DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601101480323	38408	KDMFORA01	5,432,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये चौपन लाख बत्तीस हजार पैसे से
25	P 19 240601101480323	38409	CTRFOR002	6,519,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
26	P 19 240601101480323	38410	CTRFOR003	6,519,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
27	P 19 240601101480323	38411	DHNFOR001	6,519,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
				24,989,500.00
योग:				141,623,000.00
क्रमिक योग:	रुपये चौदह करोड सोलह लाख तेहस हजार		 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) S ADD: PCCF, DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601101480323	38412	BKRFOR001 P.R. NAYDU D F O, BOKARO	7,605,500.00 रुपये छहत्तर लाख पॉच हजार पॉच से
29	P 19 240601101480323	38413	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	6,519,000.00 रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
30	P 19 240601101480323	38414	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	6,519,000.00 रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
31	P 19 240601101480323	38415	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	5,432,500.00 रुपये चौपन लाख बत्तीस हजार पॉच से
योग:				26,076,000.00
क्रमिक योग:				167,699,000.00
<p>रुपये सोलह करोड छहत्तर लाख निन्नानवे हजार</p> <p> (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND</p>				


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601101480323	38416	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	4,346,000.00 रुपये तीरयालीस लाख छ्यालीस हजार
33	P 19 240601101480382	38417	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख
34	P 19 240601101480382	38418	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख
35	P 19 240601101480382	38419	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख
योग:				11,846,000.00
क्रमिक योग:				179,545,000.00

रुपये स त्र ह करोड पिनचानन्दे लाख ऐतालीस हजार



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)  
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	दिपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601101480382 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 48 - वन सीमा का सुदृशीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 82 - सर्वेक्षण	38420	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख



योगः

2,500,000.00

क्रमिक योगः

182,045,000.00

रुपये अठारह करोड बीस लाख ऐतातीस हजार

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI, PCCF, DEV, JHARKHAND